



राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर  
RAJASTHAN STATE SEED & ORGANIC PRODUCTION  
CERTIFICATION AGENCY, JAIPUR

Regd. & Head Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur- 302005  
Tel.: No. 0141-2227456 (Fax): 2227315

विज्ञापन संख्या: रा.रा.बी.ए.जै.उ.प्र.सं/संस्थापन/2012/3057

दिनांक: 03.08.2012

**विज्ञापित**

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पदनाम	भरे जाने वाले कुल पद	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		विशेष पिछड़ा वर्ग	
			सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	24	9	3 (2 अन्य +1 विधवा)	2	2	1	1	3	2	1	0

संक्षिप्ताक्षर : सा.:-सामान्य, म.- महिला

टिपण्णी: रिक्तियों के सकल योग 24 में निःशक्तजन की 02, भूतपूर्व सैनिक की 03 तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 01 रिक्तियां सम्मिलित हैं।

**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-**

विधि सम्मत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से M.Sc. वनस्पति विज्ञान/कृषि वनस्पति/पौध प्रजनन एवं अनुवांशिकी/पौध कार्यिकी/बीज प्रोद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।

स्पष्टीकरण:-यह स्पष्ट किया जाता है कि वे ही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय पर अंतिम वर्ष की मार्कशीट अथवा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रत्याशी इस पद के लिए उम्मीदवारी के योग्य नहीं माना जायेगा।

## नोट:-

- (1) उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों जो कि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (2) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
- (3) विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, अराजपत्रित कर्मचारी, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।
- (4) किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (5) पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमी लेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (6) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- (7) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा तथा नियम 5(4) के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के, पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।
- (8) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- (9) उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ,

फैंडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम में ) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

- (10) विज्ञापन जारी होने के उपरांत विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

### आयु:-

आवेदक 1 जनवरी 2013 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में -

- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरुषअभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (4) पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (5) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (6) भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।  
भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।
- (7) विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण :** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिक्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा।

- (8) राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट होगी।

उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

### नियुक्ति के लिये अयोग्यता:-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
- (3) किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
- (4) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- (5) राजस्थान लोक सेवा आयोग /राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- (6) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।  
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती:-  
परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

### अनुचित साधनों की रोकथाम:-

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

पारिश्रमिक/वेतन:- सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा हेतु रखा जावेगा जिसके दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार रू. 13050/- प्रतिमाह मानदेय भत्ता देय होगा। उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतन श्रृंखला रूपये 9300-34800 एवं ग्रेड पे 4200 (13) में वेतन निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा काल के दौरान पद छोड़ कर नहीं जाने का नियमानुसार बॉन्ड भरा जाएगा।

## परीक्षा योजना

- संस्था द्वारा लिखित परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जावेगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी।
- प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective-type) होगा।
- लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम वेबसाइट <http://oasis.rkcl.in/rssopca> अथवा <http://krishi.rajasthan.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

## नोट:

- 1 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई OMR Sheets में अंकित किये जाने होंगे।
- 2 लिखित परीक्षा के समय, सिर्फ दृष्टिहीन/कम दृष्टिवाले अभ्यर्थियों तथा सेरेब्रल पाल्सी के वजह से जिनकी लिखने की गति प्रभावित हुई है, उन्हें ही अपने खर्चों से सहायक/लेखनिक लाने की अनुमति दी जायेगी। ऐसा लेखनिक/सहायक सीनीयर सैकण्डरी स्तर से अधिक नहीं होगा। अभ्यर्थी को लेखनिक/सहायक की आवश्यकता से संबंधित सूचना 31 अक्टूबर 2012 तक आवेदन पते राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7-ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राजस्थान) भारत" पर प्रस्तुत करनी होगी।

## परीक्षा का माह एवं स्थान:-

1. लिखित परीक्षा सम्भवतः नवम्बर 2012 माह में आयोजित की जायेगी लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना आवेदकों को यथासमय उपलब्ध करवा दी जायेगी।
2. लिखित परीक्षा राज्य की राजधानी जयपुर में आयोजित की जाएगी।

## परीक्षा शुल्क-

- (1) सामान्य आवेदक हेतु (जिसमें पि.व./वि.पि.व. किमीलेयर के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित है) – रू. 800/-
- (2) पिछड़े वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के नोन किमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं, हेतु – रू. 600/-
- (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं- रू. 400/-
- (4) निःशक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व./सामान्य सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित है) के आवेदकों हेतु – रू. 400/-

## आवेदन पत्र भरने एवं जमा कराने की अंतिम तिथि—

- परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हैं । कोई भी आवेदक इस हेतु विकसित वेबसाईट <http://oasis.rkcl.in/rssopca> पर निम्न विधि से निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकते हैं ।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र 09 अगस्त 2012 प्रातः 10.00 बजे से 26 सितम्बर 2012 रात्रि 11.00 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते हैं और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा । ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक को आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति **भारतीय डाक (केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट)** के माध्यम से 03 अक्टूबर 2012 को सांय 6.00 बजे तक राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 तक पहुँचाना अनिवार्य है । अन्य माध्यम द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे ।
- आवेदक नजदीकी आई.टी ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से भी 09 अगस्त 2012 प्रातः 10.00 बजे से 26 सितम्बर 2012 रात्रि 11.00 बजकर 59 मिनट तक ऑन लाइन (Online) आवेदन पत्र भर सकेंगे। आई.टी ज्ञान केन्द्रों की सूची वेबसाईट <http://oasis.rkcl.in/rssopca> पर उपलब्ध है ।

निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे ।

## आवेदन कैसे करें:—

ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदकों से आग्रह है कि वे वेबसाईट (<http://oasis.rkcl.in/rssopca>) पर जाकर पद से संबंधित समस्त जानकारियां जैसे आवेदन शुल्क, पात्रता, पदों की संख्या तथा शपथ पत्र का प्रारूप, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करें ।
2. आवेदक एप्लाई ऑनलाइन (Apply Online) लिंक पर क्लिक कर स्वयं की समस्त व्यक्तिगत जानकारी और सम्पर्क करने का पता भरेगा । तत्पश्चात प्रत्येक आवेदक को लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिलेगा । जिसे आवेदक को भविष्य के संदर्भ (यथा परमीशन लेटर का प्रिन्ट आउट लेने तथा आवेदन की स्थिति जानकारी प्राप्त करने) हेतु अपने पास सुरक्षित रखना होगा ।
3. आवेदक पुनः वेबसाईट पर लॉग इन आईडी (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) की सहायता से वेबसाईट पर लॉग इन (Login) कर अपनी शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, डिमाण्ड ड्राफ्ट और अन्य आवश्यक सूचनाएं भरेगा ।
4. आवेदक स्वयं की नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन कर "JPG" प्रारूप में अपलोड करेगा ।
5. आवेदक पूर्ण रूप से भरे ऑन लाइन आवेदन पत्र का "A-4"साईज के कागज पर प्रिंट लेगा ।
6. आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार विज्ञापन में यथा निर्दिष्ट परीक्षा शुल्क ( आवेदन शुल्क सहित) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (D.D.) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड" या "R.K.C.L" के नाम से जयपुर पर देय होगा, बनवायेगा ।
7. आवेदक डिमाण्ड ड्राफ्ट के पृष्ठभाग पर सुस्पष्ट अक्षरों में अपने आवेदन पत्र क्रमांक, पूरा नाम, सम्पर्क करने के लिए मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर अवश्य लिखेगा ।

8. आवेदक उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप में रू0 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर नोटेरी से सत्यापित करवायेगा ।
9. आवेदक "A-4" के लिफाफे में निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :-
- I आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ।
  - II परीक्षा शुल्क ( आवेदन शुल्क सहित ) का डिमाण्ड ड्राफ्ट ।
  - III शपथ पत्र ।
- आवेदक, आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त दस्तावेज संलग्न कर लिफाफे पर उपयुक्त डाक शुल्क चिपका कर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से "राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7-ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राजस्थान) भारत" पर प्रेषित करेगा ।
10. भविष्य में आवेदक स्वयं के लॉग इन आईडी (Login ID) एवं पासवर्ड की सहायता से वेबसाईट के माध्यम से स्वयं के आवेदन पत्र की स्थिति जान सकेगा एवं प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकेगा ।

**विशेष :-**

- विभाग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है । यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
- आवेदक को आवेदन, परीक्षा प्रवेश सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित की जायेगी ।
- यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो इस परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्तनीय होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा ।
- किसी तरह की कठिनाई/पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाइन नम्बर 0141-5159700 पर सम्पर्क करें ।
- भर्ती हेतु विकसित वेबसाईट <http://oasis.rkcl.in/rssopca> तथा <http://krishi.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था  
जयपुर